निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिहं भाटी (आर.ए.एस) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ जिला राजसमंद

प्र0सं0 32/2020 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांकः– 21.09.2020

अनवान

1 लालीदेवी पत्नी वन्नासिहं जी रावत आयु बालिग निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद

2 नजमाबानू पत्नी निसार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द मोबाइल नम्बर 9001905335

प्रार्थीगण

बनाम

1 हजारीलाल पिता प्रताप जी खटीक आयु बालिग निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

2 जगदीश पिता मांगीलाल जी भाटी आयु बालिग निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

3 मुबारिक शाह पिता मोहम्मद शाह मुसलमान आयु बालिग निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः– श्री प्रदीपकुमार सोलंकी वकील प्रार्थी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की कृषी भूमि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ में स्थित है, जिसके खा0न02093/1097 रकबा 6.00 बीघा है। उक्त पुलिया भूमि पर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से कास्त करते आ रहा है किन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउंड्री अथवा सीमा चिन्ह नही होने से प्रार्थी की भूमि से मिलते हुऐ पडोसी हर समय प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है जिससे फसल बुवाई एंव कटाई के समय सीमा संबंधी विवाद होता है तथा अनावश्यक प्रार्थीगण को मुकदमेबाजी के लिये विवश होना पडता है। मौके पर अशान्ति कायम रहती है जिससे प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक कास्त भूमि का उपयोग उपभोगा नही कर पा रहे है। इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है जिससे भूमि संबंधी विवाद समाप्त हो जाऐगा तथा प्रार्थीगण शान्तिपुर्वक कास्त वगैरह व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि की पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण कामय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षी सं. 1 व 3 को जारी सम्मन उनको तामील हो जाने पर भी उन्होने कोई जवाब पेश नही किया बल्की बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिसपर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है विपक्षी सं. 2 के विरूद्व वकील प्रार्थी कोई कार्यवाही नही चाहते है जिसपर विपक्षी सं. 2 के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। विधवान

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला राजसमन्द

वकील प्रार्थी ने बह समे तर्क दिया कि विपक्षीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि से मिलते हुऐ पडौसी है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी नही होने से विपक्षीगण सीमा संबंधी विवाद करते रहते है कभी प्रार्थी की भूमि को हाक लेते है कभी प्रार्थी की भूमि मे से घास फसल वगैरह काट लेते है मौके पर अशान्ति रहती है यदि प्रार्थीगण भूमि की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो यह समस्या हमेशा हमेशा के लिये समाप्त हो जाऐगी और प्रार्थीगण उनकी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त वगैरह कर सकेंगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबंदी एंव पत्रावली मे सलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विधवान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी की जमाबंदी सं. 2068 से 2071 मे प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार है। खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवा सकते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खं. नं. 2093/1097 रकबा 6.00 बीघा की पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि पक्षकारान को सुचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिती मे उक्त भूमि की पत्थरगढी करा रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ जिला राजसमन्द
देवगढ